

# समाहरणालय, पटना ।

(जिला भू-अर्जन शाखा)

## प्रपत्र-VII

समाहर्ता/अपर समाहर्ता-सह-समुचित सरकार

## अधिघोषणा

(अधिनियम-30/2013 की धारा- 19 (1) के अधीन)

पत्रांक-

दिनांक-

चूंकि समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना बिहटा सरमेरा राज्य उच्च पथ सं०-78 निर्माण हेतु मौजा- सैदनपुर पार्ट-1, थाना सं०- 70, अंचल-फतुहा, थाना-फतुहा, जिला- पटना में कुल 1.52 एकड़ भूमि अपेक्षित है।

इसलिए अधिघोषणा किया जाता है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधिन एक भू-खंड है जो मानक माप से कमोवेश 1.52 एकड़ है और जो मौजा- सैदनपुर पार्ट-1, थाना सं०-70, अंचल-फतुहा, थाना-फतुहा, जिला- पटना में है, जिसका विवरण निम्नवत है:-

क्रम सं०	खाता सं०	सर्वे भूखंड संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन भूमि का क्षेत्रफल (ए०)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (चौहद्दी)			
							उ०	द०	पू०	प०
1.	153	978	रैयती	कृषि	0.17	राज कुमार सिंह पिता स्व० भगत सिंह, सा०- सैदनपुर	971 अंश	978 अंश	977 अंश	979 अंश
2.	212	1326	रैयती	कृषि	0.13	श्रीमति आशा देवी पति स्व० उमेश प्रसाद एवं अन्य, सा०- सैदनपुर	1026 अंश	1326 अंश	1327 अंश	1324, 1325 अंश
3.	153	981	रैयती	कृषि	0.40	राकेश कुमार सिंह, सा०- सैदनपुर	969 अंश	981, 982 अंश	980 अंश	983 अंश
4.	156	1088	रैयती	कृषि	0.12	श्रीमति संजु देवी पति बलवीर सिंह, सा०- सैदनपुर	1089 अंश	1087 अंश	824 अंश	1082 अंश
5.	177	1092	रैयती	कृषि	0.31	श्रीमति संजु देवी पति बलवीर सिंह, सा०- सैदनपुर	1093 अंश	1091 अंश	824 अंश	1082 अंश
6.	177	1093	रैयती	कृषि	0.17	श्रीमति संजु देवी पति बलवीर सिंह, सा०- सैदनपुर	1093 अंश	1092 अंश	824 अंश	1082 अंश
7.	218	1074	रैयती	कृषि	0.22	श्रीमति संजु देवी पति बलवीर सिंह, सा०- सैदनपुर	1072 अंश	1074 अंश	1073 अंश	1076, 1077 अंश

यह अधिघोषणा हितबद्ध व्यक्तियों की आपत्तियों के सुनने और अधिनियम सं०-30/2013 की धारा 15 में प्रदत्त यथा उपबंधित सम्यक जाँच के पश्चात किया गया है।

उपर्युक्त भूमि या किसी उपर्युक्त भूमि के विशेष भाग में पड़े कोयला खदान, लौह-पत्थर, स्लेट या अन्य खनिज हैं, ऐसे भागों में पड़े हुए खदान एवं खनिज जिसे उस प्रयोजन जिसके लिए भूमि अर्जित की गई है, परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाया अथवा उपयोग किए जाने की अपेक्षा है को छोड़कर, आवश्यक नहीं हैं। जिला भूमि अर्जन पदाधिकारी, पटना के कार्यालय में किसी कार्य दिवस के दिन भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

समाहर्ता,  
पटना।